



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233820
CG-DL-E-03032022-233820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893]
No. 893]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/ फाल्गुन 11, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 923(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 151 से कि.मी. 187 (डेप्यूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " को दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 151 से कि.मी. 187 (डेप्यूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: रामबाण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामसू					
गांव का नाम: सुजमतना					
1	217	निजी	गै.मु. मलबा	0.0051	मकबूजा 1. मोहन सिंह पुत्र लालमन 2. धर्म सिंह पुत्र लालमन 3. परबत सिंह पुत्र लालमन 4. नारायण सिंह पुत्र लालमन (217)
2	220	निजी	गै.मु. मलबा एवं नाला	0.2099	मकबूजा 1. मोहन सिंह पुत्र लालमन 2. लालमन पुत्र रामदिता 3. मकबूजा मलकान (220)
3	221	अन्य(सरकारी/निजी)	गै.मु झाड़, गै.मु. दुकान/मकान	0.0101	मकबूजा 1. जगप्रीत सिंह पुत्र अमरनाथ 2. जगजीत सिंह पुत्र अमरनाथ 3. जगदेव सिंह पुत्र अमरनाथ 4. जगमोहन सिंह पुत्र अमरनाथ 5. रंजीत सिंह पुत्र अमरनाथ (आबंटी एल.बी.- 7) (221 (मिन्))
4	3	निजी	गै.मु. मलबा	0.0164	मकबूजा 1. मोहम्मद अनवर पुत्र मोहम्मद इकबाल 2. मोहम्मद आबिद पुत्र मोहम्मद इकबाल 3. आदिल इकबाल पुत्र मोहम्मद इकबाल 4. आरिफ इकबाल पुत्र मोहम्मद इकबाल 5. इरम बानो पुत्री मोहम्मद इकबाल 6. आसिया बानो पुत्री मोहम्मद इकबाल 7. आबिदा बेगम विधवा मोहम्मद इकबाल 8. आकिव अशरफ पुत्र मोहम्मद अशरफ 9. राफिया पुत्री मोहम्मद अशरफ 10. ऐहलया विधवा मोहम्मद अशरफ (3)
5	4	निजी	गैर मुमकिन, वरहाल अव्वल	0.1923	मकबूजा 1. आकिव अशरफ पुत्र मोहम्मद अशरफ मकबूजा 1. मोहम्मद अफजल पुत्र गुलाम हुसैन 2. मोहम्मद अनवर पुत्र गुलाम हुसैन 3. मोहम्मद आबिद पुत्र मोहम्मद इकबाल 4. आदिल पुत्र मोहम्मद इकबाल 5. आकिव इकबाल पुत्र मोहम्मद इकबाल 6. इरम बानो पुत्री मोहम्मद इकबाल 7. आसिया बानो पुत्री मोहम्मद इकबाल 8. आबिदा बेगम विधवा मोहम्मद इकबाल (1047/4)
कुल				0.4338	

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2020/11005/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 923(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH44 on the stretch of land from Km. 151 to Km. 187 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the state of JAMMU & KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “State Times” and “Daily Udaan” both dated 29.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44 in the stretch of land from Km. 151 to Km. 187 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the State of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR		District: RAMBAN			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ramsoo				
	Village: Sujmatna				
1	217	Private	G.M. Malba	0.0051	Maqbooza 1. Mohan Singh S/o Lalman 2. Dhram Singh S/o Lalman 3. Prabat Singh S/o Lalman 4. Naryan Singh S/o Lalman 217
2	220	Private	G.M. Malba & Nala	0.2099	Maqbooza 1. Mohan Singh S/o Lalman 2. Lalman S/o Ramditta 3. Maqbooza Malkan 220
3	221	Common(Govt./Private)	G.M. Jhad,	0.0101	Maqbooza Jagpreet Singh

			G.M. Dukan/ Makan		S/o Amarnath Jagjeet Singh S/o Amarnath Jagdev Singh S/o Amarnath Jagmohan Singh S/o Amarnath Ranjeet Singh S/o Amarnath (Allotee LB/7) 221 (Min)
4	3	Private	G.M. Malba	0.0164	Maqbooza 1. Mohd. Anwar S/o Mohd. Iqbal 2. Mohd. Abid S/o Mohd. Iqbal 3. Aadil Iqbal S/o Mohd. Iqbal 4. Arif Iqbal S/o Mohd. Iqbal 5. Iram Bano D/o Mohd. Iqbal 6. Asiya Bano D/o Mohd. Iqbal 7. Abida Begum Widow of Mohd. Iqbal 8. Akib Ashrif S/o Mohd. Ashrif 9. Rafiya D/o Mohd. Ashrif 10. Aehlya widow of Mohd. Ashrif 3
5	4	Private	Gair Mumkin, Warhal Awwal	0.1923	Maqbooza 1. Akib Ashrif S/o Mohd. Ashrif Maqbooza 1. Mohd. Afzal S/o Gulam Hussain 2. Mohd. Anwar S/o Gulam Hussain 3. Mohd. Abid S/o Mohd. Iqbal 4. Mohd. Adil S/o Mohd. Iqbal 5. Akib Iqbal S/o Mohd. Iqbal 6. Iram Bano D/o Mohd. Iqbal 7. Asiya Bano D/o Mohd. Iqba 8. Abida Begam Widow of Mohd. Iqbal 1047/4
			TOTAL	0.4338	

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2020/11005/3D]

RAJESH GUPTA, Director